

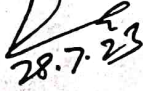
आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गइ कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पाकुड़ । लगान धार्य वाद सं०-२७ / २०२२-२३ -: आदेश :- अभिलेख उपस्थापित। आवेदक एकदिल शेख के आवेदन पर कार्यालय पत्रांक-२७३/भू०सु०, दिनांक-१६.०६.२०२३ द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक-११५६/रा०, दिनांक-२०.१०.२०२२ द्वारा आवेदक एकदिल शेख एवं अब्दुल शेख, दोनों के पिता-स्व० माबिया शेख, सा०-काबिलपुर, थाना-पाकुड़ (मु०), जिला-पाकुड़ द्वारा अंचल पाकुड़ के अन्तर्गत मौजा-बल्लभपुर नं०-१६८, खाता नं०-२८३, दाग नं०-११५ में रकवा-०२बी०-०८क०-०८धूर भूमि किस्म "धानी दायम" भूमि का लगान धार्य हेतु आवेदन, प्रपत्र "एम०" में चार प्रति में प्रतिवेदन एवं भूमि दस्तावेज की छायाप्रति के साथ लगान धार्य अभिलेख सं०-०२/२२-२३ प्राप्त है। प्रपत्र एम० एवं अभिलेख में दर्ज प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-बल्लभपुर नं०-१६८, खाता नं०-२८३, दाग नं०-११५ में रकवा-०२बी०-०८क०-०८धूर भूमि किस्म "धानी दायम" भूमि खतियान में रैयत खान बहादुर महम्मद व उमेद अली मुंशी, पिता-नाजीर अली, सा०-पाकुड़ के नाम से दर्ज है। आवेदक एकदिल शेख एवं अब्दुल शेख, दोनों के पिता-स्व० माबिया शेख, सा०-काबिलपुर के द्वारा निबंधित केवाला सं०-१२१४, दिनांक-१५.०५.१९६० के माध्यम से उक्त मौजा-बल्लभपुर नं०-१६८, खाता नं०-२८३, दाग नं०-११५ में रकवा-०२बी०-०८क०-०८धूर भूमि क्रय किया है, जिसका लगान धार्य नहीं है। अतः राजस्व वृद्धि को दृष्टिपथ में रखते हुए आवेदित भूमि का वार्षिक लगान प्रतिवर्ष १०.०० (दस) रुपये प्रति बीघा अलावे सेस की दर से आवेदक का कुल रकवा-०२बी०-०८क०-०८धूर भूमि के लिए सलाना ७.०० (सात) रुपये के अलावे सेस की दर से लगान धार्य की अनुशंसा की गई है। इस कार्यालय द्वारा १६ आना रैयत मौजा-बल्लभपुर नं०-१६८ खाता सं०-२८३, दाग नं०-११५ को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन	०

प्राप्त है। 16 आना रैयत से नोटिस प्राप्ति के बाद किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अंचल अधिकारी, पाकुड़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्व आय में वृद्धि के उद्देश्य से आवेदित दाग नं०-115 में आवेदक एकदील शेख एवं अब्दुल शेख, दोनों के पिता-स्व० माबिया शेख, सा०-काबिलपुर, थाना-पाकुड़ (मु०), जिला-पाकुड़ के नाम से मौजा-बल्लभपुर नं०-168, खाता नं०-283, दाग नं०-115 में रकवा-02बी०-08क०-08धूर भूमि का लगान धार्य 10.00 (दस) रुपये वार्षिक अलावे सेस के दर से करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमीनदारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय होगा। प्रपत्र एम० में हस्ताक्षर कर दिया गया है। प्रपत्र एम० एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पाकुड़ को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,


28.7.23

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पाकुड़।


28.7.23

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पाकुड़।